

19.01.18

वकील अपी. या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित
नहीं है। अपी. को बार-बार आवेजें दिखाई
गई। अपी. की अरर से कोई उपस्थित नहीं
है। अपीलान्ट स्वयं भी उप-नहीं है। अपील
अपीलान्ट अदम हाजरी व अदम पैरवी में
रवारिज की जाती है। पत्रावली के खल शुमार
होकर बाद तअपील जाहता दाखिल इफ्त है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर